

बी०पी० मंडल नगर भवन/ बी०एन० मंडल स्टेडियम एवं कला भवन, मधेपुरा के
आरक्षण हेतु आवेदन प्रपत्र एवं आरक्षण से सम्बन्धित शर्तें :-

- (1) आरक्षण प्राप्त कर्ता का नाम एवं पता मोबाईल संख्या सहित :-
(2) आरक्षण कराने वाले भवन/ मैदान का नाम (चिन्हित करें) :-
(3) आरक्षण की तिथि/ अवधि :-
(4) आरक्षण का प्रयोजन :-
(5) आरक्षण शुल्क प्रतिदिन :-

- (i) बी०पी०मंडल टाऊन हॉल
(ii) बी०एन०मंडल स्टेडियम
या
(iii) कला भवन, मधेपुरा

B.N.Mandal Stadium+Hall

- (i) Stadium Field+Room+Hall - Rs-6000/-(Six Thousand Only)
(ii) Stadium Field Only - Rs-4000/-(Four Thousand Only)
(iii) Stadium Hall Only - Rs-3000/-(Three Thousand Only)

B.P.Mandal town Hall

- (i) विवाह उत्सव आम लोगों के लिए- Rs-5000/-(Five Thousand Only)
(ii) विवाह उत्सव BPL परिवारों के लिए-Rs-3000/-(Three Thousand Only)
(BPL परिवारों के SDO मधेपुरा की अनुशंसा आवश्यक होगी)
(iii) व्यवसायिक उद्देश्य के लिए-Rs-7000/-(Seven Thousand Only) प्रतिदिन
(iv) राजनैतिक अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए-Rs-3000/-(Three Thousand Only) प्रतिदिन

कला भवन

- (i) व्यवसायिक कार्य के लिए-9000/- (नौ हजार) प्रतिदिन
(ii) राजनैतिक अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु-4000/-(चार हजार) प्रतिदिन

- (6) बैंक का नाम एवं खाता संख्या जिसमें आरक्षण सम्पुष्टि के पश्चात् Reservation Fee की राशि जमा की जाएगी :-

शर्तें :-

- (1) आरक्षण पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धान्त पर होगा।
(2) भवन/ कमरों दीवार में किसी प्रकार की गंदगी नहीं फैलाई जायेगी।
(3) भवन/ कमरों/ दीवार की साफ-सफाई की जबाबदेही आरक्षण प्राप्त कर्ता की होगी एवं कार्यक्रम समाप्ति पर पुनः सफाई कराना अनिवार्य होगा।
(4) भवन/ कमरों में किसी भी प्रकार का अलग से कोई Structure नहीं बनाया जाएगा।
(5) भवन/ कमरों में किसी प्रकार की गंदगी पाये जाने पर आरक्षण कराने वाले को जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित अर्थात् एक दिन की आरक्षण राशि Penalty देना होगा।
(6) आरक्षण उपरान्त कमरों/ भवन में ध्वनि यथा स्पीकर/ साउण्ड बॉक्स लगाना, बाहर में किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाना तथा Loud Voice हो तो लाउडस्पीकर अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकार की सहमति लेनी होगी।
(7) आरक्षण 08:00 बजे पूर्वाह्न से 08:00 बजे अपराह्न (रात्रि तक) के लिए किया जायेगा।
(8) आरक्षण प्राप्त कर्ता को कला भवन/ बी०पी० मंडल नगर भवन/ बी०एन० मंडल स्टेडियम हेतु आरक्षण शुल्क के साथ ₹3000/- (तीन हजार) का सुरक्षित राशि (Security Money) जिला नजरत में जमा करना होगा, जो केयर टेकर से इस आशय का प्रमाण-पत्र की "भवन/गाउण्ड का सभी समान यथा पंखा/ लाईट, गेट, फिर्छड़की इत्यादि ठीक है" मिलने के बाद वापस किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी भरपाई उनके सुरक्षित जमा राशि से की जाएगी।
(9) अनिवार्य होने पर किसी भी क्षण आरक्षण को रद्द करने का अधिकार जिला प्रशासन को अक्षुण्ण रहेगा।
(10) आरक्षण रद्द कराने की सूचना आरक्षण की तिथि से 5 (पाँच) दिन पूर्व आरक्षण प्राप्त कर्ता द्वारा देने पर आरक्षण की जमा राशि से 30% कटौती कर शेष राशि वजरिये चेक वापिस कर दी जायेगी। उसके बाद 5 (पाँच) दिनों से कम दिन में आरक्षण रद्द कराने की सूचना आरक्षण प्राप्त कर्ता द्वारा देने पर आरक्षण की जमा राशि से 40% की कटौती कर शेष राशि वजरिये चेक से लौटा दी जायेगी।

उपर्युक्त शर्तों का पालन करूँगा।

अनुलग्नक :- ID Card की छाया प्रति।

जिला पदाधिकारी
मधेपुरा

आवेदक का पूरा हस्ताक्षर एवं तिथि

26/6/16

ज्ञापांक 170/नजा0, मधेपुरा दिनांक 02/02/2016

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि पूर्व से कला भवन/ नगर भवन/ बी0एन0मंडल स्टेडियम के आरक्षण हेतु वेबसाईट पर अपलोड आवेदन प्रपत्र को हटाकर जिलाधिकारी, महोदय से अनुमोदित नये आवेदन प्रपत्र को अपलोड करने का कष्ट किया जाय।

जिला नगरपालिका प्रमुख, मधेपुरा।

मिकलजीव राजी
अध्यक्ष